

कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, आर.टी.आई. भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: १३/रा0मु0सू0आ0/रा.सू.आ./2023-24 दिनांक: १७ अगस्त, 2024

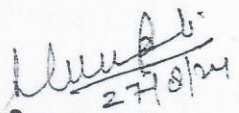
कार्यालय आदेश

दिनांक 19-08-2024 के बाद से आफलाईन डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को आदेश दिनांक 11-07-2024 के अनुक्रम में आनलाईन आयोग द्वारा फीड नहीं किया जायेगा, अपितु आफलाईन डाक प्राप्ति के 10 दिन के अंदर उस आवेदक को नियमानुसार डाक के माध्यम से इस आशय से वापस किया जायेगा कि वह आनलाईन आवेदन करें, जिससे कि तकनीकी का प्रयोग करते हुये त्वरित कार्यवाही की जा सके तथा मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो सके।


(डॉ० राज कुमार विश्वकर्मा)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
02. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग।
03. रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार/उपसचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/शोध अधिकारीगण, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
04. समस्त पेशकार/अहलमद, समस्त सुनवाई कक्ष, उ0प्र0 सूचना आयोग।
05. प्रभारी निबन्धन अनुभाग, कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन.आई.सी. को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार।

कार्यालय उ०प्र० सूचना आयोग, आर.टी.आई. भवन,

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: 12 /रा०मु०सू०आ०/रा.सू.आ./2023-24

दिनांक: 11 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय किशन चन्द्र जैन बनाम भारत संघ तथा अन्य रिट पिटीशन (सिविल) 360/2021 में दिए गए निर्देश "24. That apart, there can be no gainsaying the fact that e-filing provides round the clock access to courts, and in the process, facilitates the convenience of lawyers and litigants we direct that all SICs must ensure that e-filing of complaints and appeals is provided in a streamlined manner to every litigant. Steps should also be taken, having regard to the provisions of Section 26 of the RTI Act to ensure that service is effected on the Public Information Officers through the electronic mode. This shall also be implemented by 31 December 2023." तथा उ०प्र० शासन के मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 04 जुलाई 2023 में वर्णित शासनादेश आई टी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 09/2018/418/78-2-2018-80 आई टी/2017 टी.सी. दिनांक 25 जून 2018 के क्रम में ई आफिस प्रणाली के क्रियान्वन हेतु दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में उ०प्र० सूचना आयोग में प्राप्त होने वाले नवीन द्वितीय अपील/शिकायतें/आदेश वापसी प्रार्थना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2024 के उपरान्त पंजीकृत डाक के माध्यम से आयोग में प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

परन्तु अपरिहार्य, परिस्थितियों में यदि गरीबी रेखा से नीचे, अनपढ़ आवेदक अथवा अन्य किसी व्यक्ति जो आनलाइन आवेदन

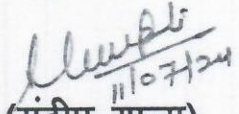
करने में सक्षम नहीं है, द्वारा उक्त द्वितीय अपील/शिकायत/ आदेश वापसी प्रार्थना पत्र उक्त तिथि के उपरान्त आफलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो रजिस्ट्रार अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा परीक्षणोंपरान्त उचित/सम्यक पाये जाने पर उसे नियमानुसार आफलाइन प्राप्त कराया जा सकेगा। उक्त आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत पारित किया जाता है।

(डॉ० राज कुमार विश्वकर्मा)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
02. निजी सचिव, समस्त मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० सूचना आयोग।
03. रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार/उपसचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/शोध अधिकारीगण, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
04. समस्त पेशकार/अहलमद, समस्त सुनवाई कक्ष, उ०प्र० सूचना आयोग।
05. प्रभारी निबन्धन अनुभाग, कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन.आई.सी. को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार।

कार्यालय उ०प्र० सूचना आयोग, आर.टी.आई. भवन,

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: 12/रा०मु०सू०आ०/रा.सू.आ./2023-24

दिनांक: 11 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय किशन चन्द्र जैन बनाम भारत संघ तथा अन्य रिट पिटीशन (सिविल) 360/2021 में दिए गए निर्देश "24. That apart, there can be no gainsaying the fact that e-filing provides round the clock access to courts, and in the process, facilitates the convenience of lawyers and litigants we direct that all SICs must ensure that e-filing of complaints and appeals is provided in a streamlined manner to every litigant. Steps should also be taken, having regard to the provisions of Section 26 of the RTI Act to ensure that service is effected on the Public Information Officers through the electronic mode. This shall also be implemented by 31 December 2023." तथा उ०प्र० शासन के मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 04 जुलाई 2023 में वर्णित शासनादेश आई टी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 09/2018/418/78-2-2018-80 आई टी/2017 टी.सी. दिनांक 25 जून 2018 के क्रम में ई आफिस प्रणाली के क्रियान्वन हेतु दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में उ०प्र० सूचना आयोग में प्राप्त होने वाले नवीन द्वितीय अपील/शिकायतें/आदेश वापसी प्रार्थना पत्र दिनांक 19 अगस्त 2024 के उपरान्त पंजीकृत डाक के माध्यम से आयोग में प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

परन्तु अपरिहार्य, परिस्थितियों में यदि गरीबी रेखा से नीचे, अनपढ़ आवेदक अथवा अन्य किसी व्यक्ति जो आनलाइन आवेदन

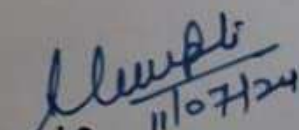
करने में सक्षम नहीं है, द्वारा उक्त द्वितीय अपील/शिकायत/ आदेश वापसी प्रार्थना पत्र उक्त तिथि के उपरान्त आफलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो रजिस्ट्रार अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा परीक्षणोंपरान्त उचित/सम्यक पाये जाने पर उसे नियमानुसार आफलाइन प्राप्त कराया जा सकेगा। उक्त आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत पारित किया जाता है।

(डॉ० राज कुमार विश्वकर्मा)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
02. निजी सचिव, समस्त मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० सूचना आयोग।
03. रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार/उपसचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/शोध अधिकारीगण, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
04. समस्त पेशकार/अहलमद, समस्त सुनवाई कक्ष, उ०प्र० सूचना आयोग।
05. प्रभारी निबन्धन अनुभाग, कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन.आई.सी. को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(संदीप गुप्ता)

रजिस्ट्रार।